[2025] 4 एससीआर 1543: 2025 आईएनएससी 557

श्री श्रीकांत एनएस और अन्य।

बनाम

के. मुनिवेनकटप्पा और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 307/2025)

23 अप्रैल 2025

[दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा,* जेजे।]

विचारणीय मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय के आदेश की शुद्धता से संबंधित है, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें सीपीसी के आदेश - 11 नियम- 14 में दाखिल आई.ए. की अनुमति दी गई थी और पहली अपील में अतिरिक्त आधार जुटाने की मांग करने वाले आई.ए. की अनुमति दी गई थी।

शीर्ष टिप्पणियां

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 11 नियम**.14 और आदेश .7** नियम**.11 - दस्तावेजों का** प्रस्तुतीकरण **- वादपत्र की अस्वीकृति - विषय भूमि के संबंध में मामला - खरीदार-अपीलकर्ता और विषय भूमि के संबंध में बिक्री विलेख से उत्पन्न होने वाले कई मुकदमों में शामिल** मालिक उत्तरदाता**, शीर्षक की घोषणा की मांग करते हुए सिविल वाद दायर करना, बिक्री विलेख की वैधता का निर्धारण, वादपत्र को अस्वीकार करने की मांग करना - विचारण न्यायालय ने मुकदमे खारिज कर दिए - उत्तरदाताओं ने विचारण न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की - इन दो अपीलों में, उत्तरदाताओं ने सी.पी.सी. के आदेश 11 नियम.14 के तहत आवेदन दाखिल किये, तहसीलदार को वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में नामांतरण रजिस्टर प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की और पहली अपील में अतिरिक्त आधार जुटाने की अनुमति मांगने वाले आवेदन की मांग की - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदनों को अनुमति दी - अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि की - शुद्धता:**

अभिनिर्धारित: आदेश 11 नियम 14 के तहत आवेदन की अनुमति देते समय विचारण न्यायालय ने आवेदन के निपटान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का पालन नहीं किया -

प्रावधान के सादे पढ़ने से पता चलेगा कि वही अदालत को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दस्तावेजों को पेश करने में सक्षम बनाता है

---

*रचयिता

आदेश 7 नियम.11 के तहत अपीलकर्ताओं के आवेदन को अनुमति देते हुए वादपत्र की अस्वीकृति के परिणाम स्वरुप - उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल किया गया मुकदमा पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

मुकदमे में साक्ष्य का नेतृत्व करने का चरण अभी तक नहीं आया है - प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित नियमित अपील में, अदालत को विवाद के गुण-दोष का फैसला करने के लिए आदेश नहीं दिया गया है - प्रथम अपीलीय अदालत केवल वादपत्र को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश की वैधता की जांच करेगी - आदेश 7 नियम 11के तहत वादपत्र की अस्वीकृति से संबंधित मुद्दे की जांच किये बिना विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय वादपत्र के अलावा किसी भी दस्तावेज को नहीं देख सकती - प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय भी आपराधिक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से अनावश्यक रूप से प्रभावित थे - इस अवलोकन का मतलब केवल यह होगा कि सिविल अदालत की कार्यवाही अपने गुणों के आधार पर निर्धारित की जाएगी - यह कहीं भी सिविल कोर्ट/प्रथम अपीलीय न्यायालय को आदेश 11 नियम 14 के दायरे से परे आदेश पारित करने में सक्षम नहीं बनाता है- विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया है, यह आक्षेपित आदेश जिसमे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा नामांतरण रजिस्टर को प्रस्तुत करने की प्रार्थना को स्वीकृति दी गयी है,पुर्णतः गलत है और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की त्रुटि से ग्रस्त है और रद्द किया जाता है - उत्तरदाता संख्या 1 को नियमित अपील में अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति देने वाला आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है और इसकी पुष्टि की जाती है। [पैरा 7-10]

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978; दंड संहिता, 1860।

प्रमुख शब्दों की सूची

नामांतरण रजिस्टर; बिक्री विलेख; न्यायालय दस्तावेजों को पेश करने की मांग करेगी; नियमित अपील में अतिरिक्त आधार बढ़ाना; अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की त्रुटि; वादपत्र की अस्वीकृति।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 307/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु के 30.06.2023 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यूपी संख्या 3092/2022

सिविल अपील संख्या 308/2025

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता:
शैलेष मदियाल, वरिष्ट अधिवक्ता महेश ठाकुर, अंचित सिंगला, सुश्री गीतांजलि बेदी, रणविजय सिंह चंदेल।

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता:
सुश्री मैरी विमला बाई पी., सुश्री मैरी विमला बाई, राजकमल तंवर, शिवंगोडा दादामणि, अंकित, सुश्री दीपशिखा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. मुकदमे में उत्तरदाताओं द्वारा की गई ये अपीलें प्रश्न में होंगी

□

: उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत उनकी रिट याचिका को भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के तहत खारिज कर दिया गया

जिसे बदले में प्राथमिकता दी गई थी

प्रथम अपीलीय न्यायालय के दिनांक 03.01.2022 के सामान्य आदेश के खिलाफ, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908[1] के आदेश 11 नियम 14 के तहत आईए संख्या 2 और आई.ए संख्या ;5 को प्रथम अपील में अतिरिक्त आधार जुटाने की अनुमति दी गई थी।

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में बताए गए हैं, यह है कि 19.11.1926 को, मैसूर सरकार ने उत्तरदाता संख्या 1/वादी के पिता कुरुबेट्टप्पा को विषय भूमि प्रदान की। अनेकल तालुक के होन्नाकालसपुरा गांव में स्थित सर्वे संख्या 11/2 में 3 एकड़ 39 गुंटा की इस भूमि को अपीलकर्ताओं की दादी श्रीमती मरक्का

द्वारा दिनांक 11.10.1939 को एक पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा खरीदा गया था और वर्ष 1939-40 में उनके नाम पर नामांतरण किया गया था। इसके बाद, उत्तरदाताओं या उसकी मां द्वारा दिनांक 11.10.1939 के उक्त लेनदेन पर हमला करते हुए निम्नलिखित कार्यवाही/मुकदमे स्थापित किए गए:

1 'सीपीसी'

(1) मूल वाद संख्या 181/1975 अपीलकर्ताओं के खिलाफ घोषणा और निषेधाज्ञा की राहत की मांग करते हुए दायर किया गया था, जिसे 28.01.1978 को चूक के लिए खारिज कर दिया गया था;

(2) 31.08.1987 को, सहायक आयुक्त ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के अंतरण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 की धारा 5 के तहत भूमि को वापस पाने के लिए उत्तरदाता संख्या 1 की मां का आवेदन दिनांक 31-08-1987 को स्वीकृत कर लिया

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(3) दिनांक 31.08.1987 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं की अपील को 24.11.1988 को विशेष उपायुक्त, बेंगलुरु द्वारा खारिज कर दिया गया था;

(4) अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी संख्या 1254/1989 वाली रिट याचिका दाखिल किये, जिसे 28.08.1989 को अनुमति दी गई, सहायक आयुक्त और विशेष उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए;

(5) 23.10.1989 को, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल रिट अपील संख्या 1776/1989 को खण्डपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, रिट याचिका संख्या 1254/1989 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई थी।

(6) 10.11.1989 को, उत्तरदाता संख्या 1 ने घोषणा और निषेधाज्ञा की मांग करते हुए ओ.एस. संख्या 320/1989 दाखिल की

(7) उपरोक्त वाद को 28.03.2002 को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था यह मानते हुए कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है;

(8) उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल की गई नियमित अपील संख्या 98/2002 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 10.07.2007 को खारिज कर दिया गया था;

(9) 22.02.2010 को,उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल द्वितीय अपील आरएसए संख्या 2099/2007 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था;

(10) आरएसए की अस्वीकृति के तुरंत बाद, उत्तरदाता संख्या 1 ने प्रश्नगत संपत्ति के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए ओ.एस. संख्या 91/2010दाखिल किया

(11) 06.08.2010 को, उत्तरदाता संख्या 2/तहसीलदार ने आरआरटी संख्या 87/2010 में एक आदेश पारित किया, जिसमें मांगी गई प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया गया, यह देखते हुए कि नामांतरण रजिस्टर संख्या 5/1939-40 एक वास्तविक प्रविष्टि थी;

(12) उत्तरदाता संख्या 1 ने ओ.एस. संख्या 275/2010 में एक और मुकदमा दायर किया, जिसमें शीर्षक की घोषणा और निर्णय को आरम्भ से ही शून्य के रूप में घोषित करने के साथ-साथ स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए भी मांग की गई;

(13) वर्ष 2010 में, उत्तरदाता संख्या 1 ने कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 192A और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष तहसीलदार

के खिलाफ एक निजी शिकायत को प्राथमिकता दी;

(14) उत्तरदाता संख्या 1 ने फिर से ओ.एस. संख्या 434/2011 वाले सिविल सूट को प्राथमिकता दी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की कि आरआरटी संख्या 87/2010 में उत्तरदाता संख्या 2/तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 06.09.2010 का आदेश अवैध है ।

3. जब मामला इस प्रकार खड़ा हुआ, तो अपीलकर्ताओं ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन के साथ अपने लिखित बयान को वर्तमान मुकदमा ओ. एस. संख्या 434/2011 में प्राथमिकता दी।

यह आवेदन इस दलील पर था कि उत्तरदाता संख्या 1 दिनांक 11.10.1939 के बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग किए बिना वादपत्र में राहत नहीं मांग सकता है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.10.2013 के अपने आदेश के तहत अपीलकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया और वादपत्र को खारिज कर दिया। इस बीच, विशेष तहसीलदार ने आपराधिक याचिका संख्या 4360/2010 और 5272/2010 को प्राथमिकता दी थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निजी शिकायत के माध्यम से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 29-11-2013 के आदेश के तहत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और विशेष तहसीलदार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

4. विशेष तहसीलदार द्वारा दाखिल की गई आपराधिक याचिकाओं में पारित इस आदेश के विपरीत, उत्तरदाता संख्या 1 ने एसएलपी (आपराधिक..) संख्या 8569/2014 को प्राथमिकता दी, जिसे इस न्यायालय

ने दिनांक 02.05.2014 के आदेश के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि, विवाद के गुण-दोष पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, यदि कोई हों, बिक्री विलेख की वैधता निर्धारित करने में सिविल न्यायालय को पूर्वाग्रह नहीं देंगी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार(इसमें) गढ़ा गया है।

5. 03.01.2018 को, विचारण न्यायालय ने दोनों मुकदमों (ओ.एस. संख्या 275/2011 & 434/2011) को खारिच कर दिया

आदेश को चुनौती देते हुए, उत्तरदाता संख्या 1 ने नियमित अपील संख्या 5002/2018 दाखिल किया जिसे ओ.एस. संख्या 275/2010 में पारित आदेश के सम्बन्ध में नियमित अपील संख्या 270/2020 और ओ.एस. संख्या 434/2011में पारित आदेश के सम्बन्ध में नियमित अपील संख्या 271/2020 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया गया

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

7. सीपीसी के आदेश XI नियम 14 के तहत अपने आवेदन में, उत्तरदाता संख्या 1 ने चौथे उत्तरदाता/तहसीलदार को आई.ए. संख्या 2 में प्रार्थना के अनुसार सूट अनुसूची संपत्ति के संबंध में नामांतरण रजिस्टर उद्धरण संख्या 5/1939-40 प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की, जबकि अन्य आवेदन (आई.ए. संख्या 5) में उन्होंने लंबित नियमित अपील में अतिरिक्त आधार जुटाने की अनुमति मांगी। आवेदनों को स्वीकार करते समय विचारण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित प्रतीत होता है, जबकि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इस बात की सराहना किए बिना कि उक्त टिप्पणी विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) में की गई थी, जिसमें विशेष तहसीलदार द्वारा दाखिल की गई याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। चूंकि ये कार्यवाही आपराधिक पक्ष में थी,

इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि आदेश में टिप्पणियां बिक्री की वैधता निर्धारित करने में सिविल न्यायालय को पूर्वाग्रहित नहीं करेंगी

विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि बिक्री विलेख की वैधता पर निर्णय लिया जाना चाहिए और इसके लिए वादी को अपना मामला साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए, यदि तहसीलदार को नामांतरण रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है , तो किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा है।

8. हमारे सुविचारित विचार में, सीपीसी के आदेश XI नियम 14 के तहत आवेदन की अनुमति देते समय, विचारण न्यायालय ने सीपीसी के आदेश XI नियम 14 के तहत आवेदन के निपटान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। उक्त प्रावधान तैयार संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **"आदेश XI नियम 14. दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण**-न्यायालय के लिए बैध होगा , किसी भी समय किसी भी वाद के लंबित होने के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा शपथ पर, उसके कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आदेश देने के लिए, जो इस तरह के वाद में प्रश्न में किसी भी मामले से संबंधित है, जैसा कि न्यायालय सही समझेगा; और न्यायालय ऐसे दस्तावेजों से निपट सकता है, जब प्रस्तुत किया जाता है, इस तरह से जो उचित प्रतीत होगा।"

9. प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यह न्यायालय को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दस्तावेजों को पेश करने में सक्षम बनाता है। मौजूदा मामले में, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे को सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत अपीलकर्ताओं के आवेदन की अनुमति देते हुए वादपत्र की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है। मुकदमे में सबूत प्रस्तुत करने का चरण अभी तक नहीं आया है।प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित नियमित अपील में

, अपीलीय न्यायालय को विवाद के गुण-दोष का निर्णय लेने के लिए आदेश नहीं दिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय केवल वादपत्र को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश की वैधता की जांच

करेगा। उक्त उद्देश्य के लिए, अपीलीय न्यायालय वादपत्र की विषय-वस्तु को देखेगा और इससे आगे कुछ भी नहीं देखेगा। सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति से संबंधित मुद्दे की जांच किए बिना विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई अन्य दस्तावेज नहीं देखा जा सकता है। हमारे विचार में, प्रथम अपीलीय न्यायालय आपराधिक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते समय इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से अनावश्यक रूप से प्रभावित था। इस टिप्पणी का मतलब केवल यह होगा कि सिविल कोर्ट की कार्यवाही अपने गुणों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह कहीं भी सिविल कोर्ट (यहां प्रथम अपीलीय न्यायालय) को सीपीसी के आदेश XI नियम 14 के दायरे से परे आदेश पारित करने में सक्षम नहीं बनाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा संख्या 1 द्वारा नामांतरण रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए की गई प्रार्थना की अनुमति देने वाला,विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश,जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में सम्पुष्ट किया गया है, पूरी तरह से गलत है और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की त्रुटि से ग्रस्त है; यह रद्द होने योग्य है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

10. जहां तक आई.ए.संख्या 5 में पारित आदेश का संबंध है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 1 को नियमित अपील में अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति दी गई है, हम नहीं समझते हैं कि वह किसी भी अवैधता से ग्रस्त है। इसके द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है ।

11. सिविल अपीलों का निपटारा उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलों का निपटारा

शीर्ष टिप्पणियां : निधि जैन द्वारा तैयार की गयी

यह अनुवाद शिव बचन यादव ,पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया ।